

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण स0 745/2022

अनवान : -

1. अनिल कुमार पुत्र महेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।

- वादी

**बनाम्**

1. धर्मपाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. राजपाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. कमल कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. कुलदीप पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. संदीप पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

9. सुनील कुमार पुत्र महेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

**दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा**

**53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता प्रतिवादी

**निर्णय**

दिनांक: 27/05/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 100/93 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 2.2770 है० के प० नं० 372/426 (92) के किला नं. 6 की 0.253 है०, 7 की 0.253 है०, 14 की 0.253 है०, 15 की 0.253 है०, 16 की 0.253 है०, 17 की 0.253 है० व प० नं० 373/426 (91) के किला नं. 10 की 0.253 है०, 11 की 0.253 है०, 20 की 0.253 है० भूमि कुल 2.2770 वादी व प्रतिवादीगण स० 1 ता 6 व तरतीबी प्रतिवादी स० 9 के एवं खाता संख्या 101/94 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.5290 है० भूमि जिसके प० नं० 373/426 (91) के किला नं. 3 की 0.253 है०, 6 की 0.253 है०, 7 की 0.253 है०, 8 की 0.253 है०, 9 की 0.253 है०, 12 की 0.253 है०, 13 की 0.253 है०, 14 की 0.253 है०, 15 की 0.253 है०, 16 की 0.253 है०, 17 की 0.253 है०, 18 की 0.253 है०, 19 की 0.253 है०, 22 की 0.0250 है०, 23 की 0.0630 है०, 24 की 0.0890 है०, 25/2 की 0.0630 है० कुल 3.5290 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर से तथा उक्त भूमि संयुक्त दर्ज रहने से भूमि के कब्जा काश्त व लगान बाबत वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 का प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का लड़ाई झगड़ा रहता है तथा सींव, डोल व कब्जा संयुक्त रहने से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 का प्रतिवादीगण से रोजाना विवाद रहता है। इसलिए वादी उपरोक्त भूमि का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त व मुताबिक हक व हिस्सा अनुसार अलग-अलग करवाने की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के

*Rahul*  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

खाता संख्या 101/94 के प० नं० 373/426 (91) के किला नं. 22 की 0.0250 है० भूमि में वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 का ट्यूबैल लगा हुआ है तथा जो कि वादी के मृतक पिता महेन्द्र के नाम से लगा हुआ है जो वादी के पिता महेन्द्र के जीवनकाल में प्रतिवादीगण की सहमति से करवाया गया था। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर से रहने का फायदा उठाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को बेदखल करने की फिराक में है। वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ने अपने कब्जा काश्त की भूमि को काफी धन खर्च करके उपजाऊ बना रखा है तथा प० नं० 373/426 (91) के किला नं. 22 की 0.0250 है० भूमि में ट्यूबैल लगा रखा है तथा वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा सुधारी हुई भूमि में गैरसायलान सींव व डोल तोड़ने को तत्पर है तथा सुधारी हुई भूमि पर प्रतिवादीगण गैर कानूनी तौर से कब्जा करने की फिराक में है। इसलिए वाद भूमि का खाता व लगान वादी अलहदा-अलहदा करवा पाने की अधिकारी है अत मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक खाता व लगान अलग किया जावे। उपरोक्त आशयों की वादी घोषणा करवाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 100/93 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 2.2770 है० के प० नं० 372/426 (92) के किला नं. 6 की 0.253 है०, 7 की 0.253 है०, 14 की 0.253 है०, 15 की 0.253 है०, 16 की 0.253 है०, 17 की 0.253 है० व प० नं० 373/426 (91) के किला नं. 10 की 0.253 है०, 11 की 0.253 है०, 20 की 0.253 है० भूमि कुल 2.2770 वादी व प्रतिवादीगण स० 1 ता 6 व तरतीवी प्रतिवादी स० 9 के एवं खाता संख्या 101/94 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.5290 है० भूमि जिसके प० नं० 373/426 (91) के किला नं. 3 की 0.253 है०, 6 की 0.253 है०, 7 की 0.253 है०, 8 की 0.253 है०, 9 की 0.253 है०, 12 की 0.253 है०, 13 की 0.253 है०, 14 की 0.253 है०, 15 की 0.253 है०, 16 की 0.253 है०, 17 की 0.253 है०, 18 की 0.253 है०, 19 की 0.253 है०, 22 की 0.0250 है०, 23 की 0.0630 है०, 24 की 0.0890 है०, 25/2 की 0.0630 है० कुल 3.5290 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 व तरतीवी प्रतिवादी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स० 2, 4, 5 व 6 जरिय अधिवक्ता उपस्थित जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के भी उपस्थित नहीं अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नहीं करवाना चाहते हैं बहस सुनी जावे।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

*Rahul*  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर


वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 100/93 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 2.2770 है० एवं रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं 101/94 की कुल 3.5290 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है का निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है—

1. बलबीर सिंह पुत्र मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. बरवाली खातेदार — प.न. 372/426 मु.न. 92 कि.न. 14/2 कि 0.1245 है., 15/2 कि 0.13 है., 16 कि 0.253 है., 17/2 कि 0.2330 है., प.न. 373/426 मु.न. 91 कि.न. 11/2 कि 0.13 है., 20 कि 0.253 है. कुल किता 6 रकबा 1.1235 है. नहरी
2. कमल कुमार, कुलदीप, संदीप पुत्रान् सत्यनारायण ब.हि.ब. जाति ब्राह्मण सा. बरवाली खातेदार— प.न. 372/426 मु.न. 92 कि.न. 6,7 कि 0.5060 है., 14/1 कि 0.1185 है., 14/3 कि 0.01 गैर मु. रास्ता, 15/1 कि 0.1230 है., 17/1 कि 0.02 गैरमु. रास्ता, प.न. 373/426 मु.न. 91 कि कि.न. 10 कि 0.253 है., 11/1 कि 0.1230 है. कुल किता 8 रकबा 1.1535 है. नहरी
3. अनिल, सुनील कुमार पुत्रान् महेन्द्र ब.हि.ब. जाति ब्राह्मण सा. बरवाली खातेदार — प.न. 373/426 मु.न. 91 कि.न. 9 कि 0.253 है., 12 कि 0.253 है., 19 कि 0.253 है., 22 कि 0.0250 है., 3/1 कि 0.0840 है., 8/1 कि 0.0980 है. , 13/1 कि 0.0980 है., 18/1 कि 0.0980 है., 23/1 कि 0.01 है. कुल किता 9 रकबा 1.1720 है.
4. राजपाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. बरवाली खातेदार— प.न. 373/426 मु. न. 91 कि.न. 3/2 कि 0.0840 है., 8/2 कि 0.1536 है., 13/2 कि 0.1550 है., 18/2 कि 0.1550 है., 23/2 कि 0.0530 है., 7/1 कि 0.1724 है., 14/1 कि 0.1650 है., 17/1 कि 0.1650 है., 24/1 कि 0.0690 है. कुल किता 9 रकबा 1.1720 है.
5. धर्मपाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. बरवाली खातेदार — प.न. 373/426 मु. न. 91 कि.न. 3/3 कि 0.0850 है., 8/3 कि 0.0014 है., 7/2 कि 0.0806 है., 14/2 कि 0.0880 है., 17/2 कि 0.0880 है., 24/2 कि 0.02 है., 6 कि 0.253 है., 15 कि 0.253 है., 16 कि 0.253 है., 25/2 कि 0.0630 है. कुल किता 10 रकबा 1.1850 है.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण स0 745/2022

अनवान : -

1. अनिल कुमार पुत्र महेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।

- वादी

### बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. राजपाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. कमल कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. कुलदीप पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. संदीप पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

9. सुनील कुमार पुत्र महेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 745 सन 2022 निर्णय दिनांक 27/05/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 100/93 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 2.2770 है० एवं रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 101/94 की कुल 3.5290 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है का निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है-

1. बलबीर सिंह पुत्र मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा. बरवाली खातेदार - प.न. 372/426 मु. न. 92 कि.न. 14/2 कि 0.1245 है., 15/2 कि 0.13 है., 16 कि 0.253 है., 17/2 कि 0.2330 है., प.न. 373/426 मु.न. 91 कि.न. 11/2 कि 0.13 है., 20 कि 0.253 है. कुल किता 6 रकबा 1.1235 है. नहरी
2. कमल कुमार, कुलदीप, संदीप पुत्रान् सत्यनारायण ब.हि.ब. जाति ब्राहमण सा. बरवाली खातेदार- प. न. 372/426 मु.न. 92 कि.न. 6,7 कि 0.5060 है., 14/1 कि 0.1185 है., 14/3 कि 0.01 गैर मु. रास्ता, 15/1 कि 0.1230 है., 17/1 कि 0.02 गैरमु. रास्ता, प.न. 373/426 मु.न. 91 कि कि.न. 10 कि 0.253 है., 11/1 कि 0.1230 है. कुल किता 8 रकबा 1.1535 है. नहरी
3. अनिल, सुनील कुमार पुत्रान् महेन्द्र ब.हि.ब. जाति ब्राहमण सा. बरवाली खातेदार - प.न. 373/426 मु.न. 91 कि.न. 9 कि 0.253 है., 12 कि 0.253 है., 19 कि 0.253 है., 22 कि 0.0250 है., 3/1 कि 0.0840 है., 8/1 कि 0.0980 है. , 13/1 कि 0.0980 है., 18/1 कि0.0980 है., 23/1 कि 0.01 है. कुल किता 9 रकबा 1.1720 है.
4. राजपाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा. बरवाली खातेदार- प.न. 373/426 मु.न. 91 कि.न. 3/2 कि 0.0840 है., 8/2 कि 0.1536 है., 13/2 कि 0.1550 है., 18/2 कि 0.1550 है., 23/2 कि 0.0530 है., 7/1 कि 0.1724 है., 14/1 कि 0.1650 है., 17/1 कि 0.1650 है., 24/1 कि 0.0690 है. कुल किता 9 रकबा 1.1720 है.
5. धर्मपाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा. बरवाली खातेदार - प.न. 373/426 मु.न. 91 कि.न. 3/3 कि 0.0850 है., 8/3 कि 0.0014 है., 7/2 कि 0.0806 है., 14/2 कि 0.0880 है., 17/2 कि 0.0880 है., 24/2 कि 0.02 है., 6 कि 0.253 है., 15 कि 0.253 है., 16 कि 0.253 है., 25/2 कि 0.0630 है. कुल किता 10 रकबा 1.1850 है.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर